

26/5/16 पम्पवली राजस्व लोकअदालत शिबिर में
पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें
गैरनामलग वकील दि. 6.6.12 को उपरोक्त
उक्त दिनांक से आज तक विधिवत वास्तुजवाब
प्रस्तुत करने दिये जाने बिना ही अधिक अवधि
गुजर चुकी है। अतः अग्रार्थ रद्द है। जिससे
प्राथमिक के सामान को लुप्त हो जाने से
प्राथमिकी पक्ष को प्राप्त जाता है।

अतः प्राथमिक अथवा विशेषाज्ञा स्वीकार
किया जाता है। गैरनामलग सामान के
हिस्से की शर्तें 1353, 1354/1423, 1355/1427
कोके ग्राहक क्यारहा लुई के अज्ञात, अज्ञात
ना करे। पम्पवली फौजदार लुमा लुमा वरिष्ठ
सकमील नम्बर है कम की जाकर मूल लुमा
के साथ लुमा की जावे।

अपराध अधिकारी
विण्डीन सिटी